केन्द्रीय विद्यालय संगठन
आज़ादी का अमृत महोत्सव

केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मुख्यालय)
KendriyaVidyalayaSangathan (HQ)
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान
An Autonomous Body Under Ministry of Education, Govt. of India
18 संस्थागत क्षत्र/18 Institutional Area,
शहीदजीत सिंह मार्ग/ShaheedJeet Singh Marg
नईदिल्ली/New Delhi – 110016
दूरभाष/Telephone: 011-26521841-260,294
वेबसाइट/Website: www.kvsangathan.nic.in

F. 22-20/2010-KVS/(S&S)

Dated: 02/06/2025

सूचना

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु0) दिल्ली के कार्यालय परिसर में रखी अनुपयोगी फाइलों व पेपरों का निपटान दिनांक **12/06/2025** सायं 3.00 बजे होना निश्चित हुआ है।

सभी इच्छुक खरीदारों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सामानों के निपटान की प्रक्रिया ऊँची बोली के आधार पर की जाएगी साथ ही निपटान हेतु रखी जानी वाली वस्तुएं (अनुपयोगी फाइलों व पेपरस) को जिस स्थिति में हैं, उसी स्थिति में लेनी होगी। भुगतान उसी समय UPI /ONLINE करना होगा तभी सामान उठाने दिया जाएगा। भुगतान चैक के माध्यम से या डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से भी स्वीकार्य होगा, परन्तु सामान चैक/ ड्राफ्ट के भुगतान हो जाने के बाद ही उठाने दिया जाएगा। इच्छुक खरीदारों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे संबंधित अनुपयोगी फाइलों व पेपरों की बोली लगाने से पूर्व किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय में आकर निपटान होने वाले सामानों को देख सकते हैं। सामान उठाने से पहले Paper Shredding करने के उपरांत ही उठाना स्वीकार्य होगा।

कार्यालय परिसर में रखी अनुपयोगी फाइलों व पेपरों का निपटान निम्नलिखित स्थान पर दिनांक **12/06/2025** को सायं 3.00 बजे होगा, जिसमें सभी विक्रेता भाग ले सकते हैं:-

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु0)
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान ,
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग ,
नई दिल्ली -110016

02/06/2025
(पुष्पेंद्र कुमार)
सहायक आयुक्त (सेवा एवं आपूर्ति)

प्रतिलिपि:-

1) सहायक आयुक्त (आई.टी.), के.वि.सं.(मु0) को इस अनुरोध के साथ कि वे इस सूचना को वेबसाइट पर अपलोड करें।
2) के.वि.सं. (मु0) के कार्यालय में लगे नोटिस बोर्ड में सूचनार्थ प्रकाशित करने हेतु ।
3) उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन , दिल्ली संभाग को संभागीय कार्यालय एवं संभाग के अधीनस्थ सभी केन्द्रीय विद्यालयों को सूचनार्थ एवं विद्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने हेतु ।